

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

प्रशासन गांवों के संग अभियान—2023 कोर्ट केम्प जालीपा

क्रमांक रीडर/2023/3316

दिनांक - 21/06/23

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 भेराराम पुत्र पूंजाराम जाति जाट निवासी जालीपा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 जोगेन्द्रसिंह 2 उगमसिंह पिसरान भेरसिंह जाति राजपूत निवासी गरल 3 अणदुदेवी पत्नी भेराराम जाति जाट 4 प्रतापाराम पुत्र तेजाराम जाति कुम्हार 5 तेजाराम 6 रतनाराम पिसरान वीरमाराम 7 दीपाराम पुत्र पूंजाराम जाति जाट 8 प्रतापाराम पुत्र तेजाराम जाति कुम्हार 9 नैनुदेवी पत्नी उमाराम 10 पनीदेवी पत्नी पुराराम 11 पुराराम पुत्र उमाराम जाति जाट 12 चतरसिंह 13 थानसिंह पिसरान प्रेमसिंह 14 पदमसिंह पुत्र नवलसिंह 15 शैतानसिंह पुत्र भेरसिंह जाति राजपूत निवासी जालीपा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 16 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण।


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :- 137/2022

दिनांक- 25/5/23

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जालीपा पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 120 रकबा 1.2060 हैक्टेयर, खसरा संख्या 251/119 रकबा 5.3095 हैक्टेयर, खसरा संख्या 240/169 रकबा 5.9974 हैक्टेयर, खसरा संख्या 472/169 रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/— अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


  
(समदरसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 21/06/23

क्रमांक :- रीडर/2023/ 3317-20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जालीपा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. भेराराम पुत्र पूंजाराम जाति जाट निवासी जालीपा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी जोगेन्द्रसिंह पुत्र भेरसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी गरल तहसील जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर